हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-12-21 पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 के तहत केम्प कोर्ट स्थान नवाघरा में पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17-02-22 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.) 17.02.22 पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपस्थित. पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/ जन सुनवाई में .....होने से पत्रावली दिनांक 24.02.22 को पेश होवें [signature] 24.02.22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। आज आयोजित कोर्ट में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगणों से सम्बन्धित दस्तावेजों यथा प्रार्थीगणों के मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, सयुक्त खातेदारों के बयान मौजा राछा पटवार हल्का नवाघरा की रिपोर्ट एवं तहसीलदार खेरवाडा की रिपोर्ट में जाति चमार के बजाय मेघवाल किये जाने की अनुशंषा पेश कि गयी। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.12.95 व स्पष्टीकरण क्रमांक 6/16 दिनांक 1.11.96 के प्रावधानुसार और तहसीलदार खेरवाडा की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम-राछा के खाता संख्या 69 व खाता संख्या 74 में दर्ज जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जाने के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व [illegible] जो [illegible] तामील[illegible]
	आदेश दिये जाते है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जा कर पालनार्थ तहसीलदार खेरवाडा को भेजा जाए। पत्रावली फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)	

Scanned with OKEN Scanner